



प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

संयुक्त सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 26 सितम्बर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय मेडिकल कालेज बांदा में पी०जी० (जे०आर०-1, जे०आर०-2, जे०आर०-3) हेतु 100 बेड आवासीय हास्टल का निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०/निर्माण/2025-26/549, दिनांक 25.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज बांदा में पी०जी० (जे०आर०-1, जे०आर०-2, जे०आर०-3) हेतु 100 बेड आवासीय हास्टल का निर्माण कार्य हेतु ₹ 1504.00 लाख का आगणन उपलब्ध कराते हुए पी०एफ०ए०डी० से मूल्यांकन कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज बांदा में पी०जी० (जे०आर०-1, जे०आर०-2, जे०आर०-3) हेतु 100 बेड आवासीय हास्टल का निर्माण कार्य हेतु पी०एफ०ए०डी० द्वारा आंकलित लागत ₹ 1501.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-21-राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में ₹ 176.00 लाख (₹ एक करोड़ छिहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. वित्त विभाग के शासनादेश सं०-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
2. वित्त विभाग के शासनादेश सं०-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किशतें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें। ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

3. प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल/ऑडिट का प्रावधान किया गया है। अतः थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल / ऑडिट हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-2/2026/ए-2-आई/1172817/2025/दस-2025, दिनांक 02 जनवरी, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. प्रायोजनान्तर्गत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0 65-2013/2/ 2019-2 दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रधानाचार्य/ कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित करायें। साथ ही प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (consumed) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/गिट/मौरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये। जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।
7. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
8. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग इत्यादि सम्बन्धी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड/अन्य सम्बन्धित कोड के अनुरूप हैं।
9. प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।
11. प्रायोजना का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
12. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रु0 8.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाये।
13. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
14. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययवर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
16. किसी भी परिस्थिति में अवमुक्त की जा रही धनराशि को एकमुश्त बैकखाते/अन्य किसी खाते एवं डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
17. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
18. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग का उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
19. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा/कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होंगे।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जायेगा।
21. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,76,00,000 (रुपये एक करोड़ छिहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031052100 राजकीय मेडिकल कालेज बांदा मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के एफआईएनआरएमएस सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-86 /दस-2026-27 दिनांक 03.09.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या व तदिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बांदा।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० सिडको, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।